न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, गुमला

वाद संख्या एम0 – ...80.... / 2023
(द0प्र0सं0, धारा – 133)

विषय :– ईमली वृक्ष को हटाने के संबंध में।

10/08/2023

अंचल अधिकारी, घाघरा के पत्रांक – 674(ii)/रा0, दिनांक – 04.08.2023 के आलोक में द0प्र0सं0 की धारा – 133 के तहत वाद की कार्रवाई प्रारंभ की गई। अंचल अधिकारी, घाघरा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम – नवाडीह, पो0 – आदर, थाना – घाघरा, जिला – गुमला के मुखिया एवं ग्रामीणों के संयुक्त हस्ताक्षरित आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें संसूचित किया गया कि द्वारा ग्राम – नवाडीह में सड़क किनारे इमली का विशालकाय पुराना एक पेड़ गिरने की अवस्था में है। सूचना की प्राप्ति पर संबंधित राजस्व उप–निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से स्थलीय जाँच कराया गया। जाँच में उनके द्वारा ग्रामीणों की सूचना को संपुष्ट करते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त ईमली पेड़ के अन्दर खोडर पाया गया है तथा वह कभी भी गिर सकता है, जिससे जान–माल की क्षति होने की संभावना है।

अंकनीय है कि विवेचित वस्तुस्थिति का दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा – 133 की कण्डिका – (d) में स्पष्टतः वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार "That any building, tent or structure, or any tree is in such a condition that it is likely to fall and thereby cause injury to persons living or carrying on business in the neighborhood or passing by, and that in consequence the removal, repair or, support of such building, tent or structure, or the removal or support of such tree, is necessary "

उपरोक्त विचेचित प्रावधान व अंचल अधिकारी, घाघरा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के सम्यक् विचारोपरान्त यह आभास होता है कि जान–माल की सुरक्षा को ध्यान में रखकर वर्णित Nuisance का तत्काल निराकरण/निष्पादन आवश्यक है।

तद्आलोक में, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा – 133(iii) सह पठित धारा – 142(ii) के तहत जान–माल की सुरक्षा को दृष्टिगत रखकर ईमली के पेड़ को हटाने का एतदर्थ आदेश दिया जाता है। अंचल अधिकारी, घाघरा को निदेशित किया जाता है कि वे वन विभाग से समन्वय स्थापित कर वृक्ष के डाल को सभी प्रासंगिक एहतियाती मानक को दृष्टिगत रखकर कटवाना व नियमानुसार निष्पादित करना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यालय को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त आशय की सूचना वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमण्डल, गुमला/अंचल अधिकारी, घाघरा को अवलिम्ब सप्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित

10/8/23

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
गुमला।

10/8/23

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
गुमला।

ज्ञापांक – 500 /सा0न्याय, गुमला, दिनांक – 10/08/2023

प्रतिलिपि, ... वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमण्डल, गुमला/अंचल अधिकारी, घाघरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि, उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी, गुमला को सादर सूचनार्थ अग्रसारित।

10/8/23

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
गुमला

Digitally signed by RASHMI KHUSHBOO MINZ
Date: 2023.08.10 15:59:21 +05:30
Location: 192.168.1.6

Scanned with OKEN Scanner